न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

नेतीराम बनाम जुगारी वगैरह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज दावा मु.नं.- 137/2017
	प्रतिवादी नं. 3 के वारिसान की तामील तत्काल पेश होने पर कामील ... जावर पत्रावली दिनांक 22-9-21 को पेश हो दिलीप सिंह उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
22-9-21	पत्रावली पेश हुई। वकलाय फरीकैन उप./~~अनुपस्थित~~। पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में है। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 29-9-21 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)
29-9-21	पत्रावली पेश हुई। वकलाय फरीकैन उप./~~अनुपस्थित~~। पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में है। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 20-10-21 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)
20.10.2021	पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 के तहत आयोजित शिविर ग्राम पंचायत– कल्याणपुरा में पेश हुई। वकील वादीगण व प्रतिवादीगण मय पक्षकार उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 3 के वारिसान 3/1 से 3/4 एवं प्रतिवादी सं. 5 के वारिसान 5/1 से 5/... की ओर से श्री फूलचन्द सामोता एड0 ने एक प्रार्थना पत्र मय ... पिता–पति द्वारा पूर्व में वादीगण के पक्ष में प्रस्तुत राजीनामा से सहमत होते हुए वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को स्वीकार फरमाया जाकर डिक्री किये जाने में कोई आपत्ति या एतराज नहीं होना बाबत मय वकालतनामा के पेश किया। जो शामिल पत्रावली किये गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.11.09 18:15:12 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

नेकीराम बनाम जुवारी

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए

दावा — मु.न. 137/2008

उपस्थित वादी संख्या 1 की पहचान वादीगण वकील श्री फूलचन्द सामोता एड0 द्वारा एंव उपस्थित प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 3/3 की पहचान श्री झाबर सिंह भारणी एड0 के द्वारा की गई। वकील वादीगण व प्रतिवादीगण एंव पक्षकारान् ने प्रकरण में आज ही बहस सुनी जाकर लोक अदालत की भावना से निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया। वकील वादीगण व प्रतिवादीगण एंव पक्षकारान् के निवेदन पर प्रकरण में बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् बहुपक्षीय सुनी गई। प्रकरण में मेरे द्वारा निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील दाखिल दफ्तर हो।

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर) श्रीमाधोपुर
कैम्प:--कल्याणपुरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.11.09 18:15:12 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
137/2008	2008/099	26.06.2008	20.10.2021

उनवान

1. नेकीराम पुत्र गोविन्दराम उम्र– 55 साल
2. देवीसहाय पुत्र गोविन्दराम उम्र– 50 साल
3. फत्ती पत्नी स्व0 सुरजाराम उम्र–65 साल
4. शिशुपाल पुत्र सुरजाराम उम्र–45 साल
5. बाबूलाल पुत्र सुरजाराम उम्र– 35 साल
6. चावली पत्नि स्व0 रामलाल उम्र–60 साल
7. हरिसिंह पुत्र रामलाल उम्र–35 साल
8. सुरेश पुत्र रामलाल उम्र– 30 साल

समस्त जाति जाट निवासीगण ढ़ाणी डैरावाली (कल्याणपुरा) तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

वादीगण

बनाम

1. जवाहरा पुत्र भूराराम उम्र– 70 साल
2. भगवानसहाय पुत्र भूराराम उम्र–65 साल
3. रामनाथ पुत्र बालूराम (मृत्तक)
   3/1 झाबरमल उम्र 40 साल
   3/2 बहादुरसिंह उम्र 38 साल
   3/3 विनोद कुमार उम्र 36 साल
   पुत्रगण स्व0 रामनाथ
   3/4 प्रभाती देवी पत्नी स्व0 रामनाथ उम्र– 60 साल
4. रामसहाय पुत्र बालूराम उम्र– 41 साल
5. श्रवण कुमार पुत्र बालूराम (मृत्तक)
   5/1 कोयली देवी पत्नी स्व0 श्रवण कुमार
   5/2 मुकेश पुत्र स्व0 श्रवण कुमार
   5/3 दिनेश पुत्र स्व0 श्रवण कुमार
6. जगन्नाथ पुत्र बालूराम उम्र– 35

समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम ढ़ाणी डैरावाली तहसील श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.11.09 18:15:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

20/10/21

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

7. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

प्रतिवादीगण

उपस्थिता–

श्री फूलचन्द सामोता, एड0 वादीगण अभिभाषक।
श्री झाबर सिंह भारणी, प्रतिवादीगण नं. 1 से 6 अभिभाषक।
सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी नं. 7

वादपत्र बाबत ईस्तकरार हक, बंटवारा एंव स्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि वादीगण की खातेदारी आराजीयात काश्तकारी भूमि अवस्थित तन् ग्राम ढ़ाणी डेरावाली पटवार हल्का कल्याणपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के कृषि भूमि खसरा नम्बर 1597, 1601, 16302, 1606 से 1610, 1650 कुल किता 09 कुल रकबा 4.2900 हैक्टर भूमि वादीगण एंव प्रतिवादीगण की संयुक्त पैत्रृक भूमि है। वादीगण एंव प्रतिवादीगण एक ही परिवार से है। जो सजरा खानदान में अंकित है। उक्त वादग्रस्त भूमियों का बाहमी बंटवारा हो गया था। जिसके अनुसार भूमि खसरा नम्बर 1606 रकबा 0.39 हैक्टर पश्चिमी तरफ पर वादीगण एंव शेष भूमि पर प्रतिवदीगण काबिज काश्त चले आ रहे है। इसलिए वादीगण कानूनन खातेदार काश्तकार हो चूके है। उक्त भूमियों की खातेदारी अपने नाम दर्ज कराने बाबत वादीगण ने प्रतिवादीगण को पहले कई बार कहा परन्तु अब जमीनों की कीमत बढ़ने से प्रतिवादीगण इन्कार हो गये। इसलिए दावा पेश करने बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

इस पर वादीगण के वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण नं. 1 ता 6 की ओर से श्री झाबर सिंह भारणी एड0 ने उपस्थित होकर वादीगण के पक्ष में उपस्थित होकर अलग–अलग राजीनामा पेश कर तस्दीक कराये है। प्रतिवादी सं. 7 के हाजिर अदालत उपस्थित नही आने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 3 व 5 के फौत होने पर उनके वारिसान् के द्वारा अपने मृत्तक के राजीनामा को स्वीकार करते हुए वादीगण के नाम खातेदारी अधिकार दिये जाने बाबत सहमति प्रदान की गई। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के द्वारा वादीगण के पक्ष में राजीनामा पेश कर दिये जाने तथा प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.11.09 18:15:12 IST
Reason: SelfAttested

20/10/21

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

सं. 7 के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने एंव समस्त पक्षकारान् के आयोजित शिविर में उपस्थित होकर वादपत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन किये जाने पर प्रकरण में आज ही बहस सुने जाने का निवेदन वादीगण अभिभाषक के द्वारा किया गया है।

हमनें वादीगण अभिभाषक की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वादीगण अभिभाषक द्वारा की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2062–2065 के अनुसार वादग्रस्त भूमियॉं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 के नाम व उनके मृत्तक पिता रामनाथ व श्रवण कुमार पुत्रगण बालूराम के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 आपस में एक ही परिवार से है। उक्त वादग्रस्त भूमियॉं पक्षकारान् की पैत्रृक भूमियॉं होना सिद्ध होता है। प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्यों से यह प्रतीत होता है कि पक्षकारान अपने मध्य हुए बाहमी बंटवारे अनुसार अपने अपने हक हिस्से में दर्ज खातेदारी भूमियों की घोषणा करवाने के अधिकारी है। ऐसी स्थिति में आराजीयात काश्तकारी भूमि अवस्थित तन् ग्राम ढाणी डेरावाली पटवार हल्का कल्याणपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के कृषि भूमि खसरा नम्बर 1606 रकबा 0.43 हैक्टर में से 0.39 हैक्टर का बाहमी बंटवारा अनुसार वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वादीगण को भूमि खसरा नम्बर 1606 रकबा 0.43 हैक्टर में से 0.39 हैक्टर पश्चिमी तरफ का मिन/बट्टा नम्बर डालकर अलग से खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाकर लगान कायम करने तथा उक्त भूमि से प्रतिवादीगण का नाम हजफ किया जाकर उसके स्थान पर वादीगण को बहिस्सा बराबर–बराबंर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने हेतु वादपत्र को स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादीगण का वाद बाबत् उद्घोषणा एंव स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम ढाणी डेरावाली पटवार हल्का कल्याणपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के कृषि भूमि खसरा नम्बर 1606 रकबा 0.43 हैक्टर में से 0.39 हैक्टर का बाहमी बंटवारा/राजीनामा अनुसार [illegible] को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा वादीगण को भूमि [illegible] हैक्टर में से 0.39 हैक्टर पश्चिमी तरफ का मिन/बट्टा नम्बर [illegible] खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावें तथा लगान कायम किया जावे तथा उक्त भूमि से प्रतिवा[illegible] का नाम हजफ किया जाता है। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण के कब्जे काश्त में

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.11.09 18:15:12 IST
Reason: SelfAttested

20/10/21
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

ढाणी डेरावाली

किसी प्रकार की मजाहमत नहीं करें तथा ना ही दीगर से करावें। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि प्रकरण में राजकीय हित एंव राजस्व अपवंचना की जॉच कर तदनुसार राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार दुरूस्त करने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

20/10/21

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)
कैम्पः— कल्याणपुरा

यह निर्णय आज दिनांक 20.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर प्रशासन गांवों के संग अभियान—2021 के तहत आयोजित शिविर ग्राम पंचायतः— कल्याणपुरा के जलसे—ए—आम में सुनाया गया।

20/10/21

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)
कैम्पः— कल्याणपुरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.11.09 18:15:12 IST
Reason: SelfAttested